यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः—174/2019 प्रार्थना पत्र
चान्दू पिता किशोर नायक, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

श्री शंभूलाल पिता काना लुहार, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री बंशीलाल पिता कल्याण लुहार, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री राजेन्द्र पिता केसरीमल जैन, उम्र बालिग निवासी सुभाषनगर—भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
श्रीमति शांति देवी पत्नि टीकमचन्द जैन, उम्र बालिग निवासी वकील कॉलोनी, भीलवाड़ा
श्री परसा पिता छीतर जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—23.10.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व नियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार ा दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1310 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, । रकबा 7 बिस्वा, 1312 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की जियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस ा प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना ा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान ावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.7.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये ा विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल ली किये गये। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी थत नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 25.9.2019 को पारित गया।

वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की जियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की जियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ा रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के त स्वीकार किया जाकर कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित त्र आराजी नम्बर 1310 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 1311 रकबा 7 बिस्वा, 1312 रकबा 4 बिस्वा कुल ता 3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश या जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 300/–रूपये (तीन सौ पये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। मेश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी ये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में ाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner